न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद, जिला कोटा

25 | तारीख दायरा 03.11.2025 | तारीख फैसला 25 .02.2026

उासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1. कृष्णमुरारी आत्मज मांगीलाल उम्र वर्ष जाति नाई
2. रामेश्वर आत्मज मांगीलाल जाति नाई निवासीगण अमरपुरा तह0 दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1. प्रेमशंकर आत्मज मांगीलाल जाति नाई
2. महावीर प्रसाद आत्मज मांगीलाल जाति नाई
3. कमला बाई पत्नी मांगीलाल जाति नाई
4. चन्द्रकला पुत्री मांगीलाल जाति नाई निवासीगण ग्राम अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री कौशल किशोर वैष्णव एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :– श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह कि ग्राम अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता नं0 200 नया 193 पुराना की ख0नं0 55 रकबा 0.09 है0, ख0न0 65 रकबा 0.45 है0 कुल 2 किता की 0.54 है0 ग्राम नापाहेडा की खाता स0 112 की ख0नं0 171 रकबा 0.02 है0, ख0न0 273 रकबा 0.55 है0 ख0नं0 298 रकबा 1.15 है०, ख०न० 315 रकबा 0.95 है० कुल 4 किता की 2.67 है0, ग्राम सुल्तानपुर की खाता स0 407 की ख0नं0 2615 रकबा 0.41 है0, . ख0न0 2623 रकबा 0.07 है0 कुल 2 किता की 0.48 है0 भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी में स्थित चली आ

Scanned with OKEN Scanner

जमाबंदी संलग्न है।. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण में मौखिक बंटवारा करते अपने हिस्से की भूमि जौत हेतु दे दी थी और वादीगण व प्रतिवादीगण अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। यह कि प्रतिवादी क्रम 3 वादीगण की मा व ...0 4 वादीगण की बहन है। वादीगण की मा व बहन प्रतिवादी क्रम 3 ओर 4 द्वारा ...ा हिस्सा अपने भाइ/ पुत्रों वादीगण व प्रतिवादी न0 1 व 2 के पक्ष में मौखिक हकत्याग ...र दिया हे ओर वादीगण व प्रतिवादी न0 1 व 2 ही प्रतिवादी न0 3 ओर 4 की हिस्से के हिस्से पर काबिज कास्त चले आ रहे है। यह कि विवादित आराजी को प्रतिवादी न0 1 व 2 बिना विभाजन कराये उक्त भूमि को खुर्द बुर्द, बैचान, अन्तरण करनें पर आमादा है, ओर वादीगण के कब्जे कास्त में व्यवधान पैदा करते है जिसका कि प्रतिवादी न० 1 व 2 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि वादी क्रम 1 का नाम ग्राम अमरपुरा की जमाबन्दी में किशन दर्ज हो रहा है जबकि अन्य ग्राम नापाहेडा व सुल्तानपुर की जमाबन्दी मे वादी क्रम 1 का नाम कृष्णमुरारी दर्ज है। यह कि वादी नें प्रतिवादी न0 1 2 से तहसील में चलकर मौके पर काबिज अनुसार भूमि का बंटवारा करने हेतू कहा तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा भूमि को बैचान करनें की धमकी दी। यह कि वाद कारण दिनांक 08/11/2025 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त भूमि में मौके अनुसार बंटवारा कराने की कहने तथा वादीगण को कास्त करले मे विवाद पैदा नही करने की कहने तथा प्रतिवादीगण द्वारा इंकार करने पर उत्पन्न हुआ। यह कि प्रतिवादी नं0 5 स्टेट ऑफ राजस्थान लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है, वादी के पास धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस देने का समय नही होने से यह वाद 80(2) जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत है।

अतः वाद प्रस्तुत कर वादीगण का निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें–

ग्राम अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता न0 200 नया 193 पुराना की ख0नं0 55 रकबा 0.09 है0 ख0न0 65 रकबा 0.45 है0, कुल 2 किता की 0.54 है0 ग्राम नापाहेडा की खाता स0 112 की ख0नं0 171 रकबा 0.02 है0, ख0न0 273 रकबा 0.55 है0 ख0नं0 298 रकबा 1.15 है0, ख0न0 315 रकबा 0.95 है0 कुल 4 किता की 2.67 है0, ग्राम सुल्तानपुर की खाता स0 407 की ख0नं0 2615 रकबा 0.41 है0, ख0न0 2623 रकबा 0.07 है0 कुल 2 किता की 0.48 है0 भूमि मे प्रतिवादी न0 3 और 4 के हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादी न0 1 व 2 को खातेदार घोषित करते हुए वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मोके पर काबिज अनुसार भूमि का बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाता व लगान कायम किया जायें। यह कि ग्राम अमरपुरा की जमाबन्दी मे वादी कम 1 का नाम किशन के स्थान पर कृष्णमुरारी दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे। कि प्रतिवादी नं0 5 को आदेशित किया जावें के वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिर्पाट न्यायालय को भिजवावें।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गयेः–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम अमरपुरा सम्वत 2075–2078
2– नकल जमाबन्दी ग्राम नापाहेडा सम्वत 2073–2076

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की ओर से अधि0 जितेन्द्र शर्मा आये। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने

Scanned with OKEN Scanner

...ति से राजीनामा कर प्रकरण में राजीनामा पेश किया जो शामिल फाईल किया राजीनामा इस प्रकार है–

राजीनामा

यह कि उक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय मे जेरकार है जिसमे आज तारिख पेशी नियत है। यह कि उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस मे राजीनामा हो गया हे ओर निम्न राजीनामानुसार उक्त प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है–

यह कि आपसी सहमति अनुसार वादी क्रम 1 मोके पर काबिज अनुसार ग्राम नापाहेडा की आराजी खसरा न0 315 रकबा 0.95 है0 दिशा पश्चिम हिस्सा 1/2, खसरा न0 298 रकबा 1.15 है0 में से 0.40 है0 पूर्व दिशा, खसरा न0 171 रकबा 0.02 है0 मे से 0.01 है0 पश्चिम दिशा पर काबिज काश्त है। इसी प्रकार वादी नं0 2 रामेश्वर ख0नं0 298 रकबा 1.15 है0 में से 0.75 है0 पश्चिम दिशा ग्राम नापाहेडा, ग्राम अमरपुरा के ख0नं0 55 रकबा 0.09 है0 सम्पूर्ण, ख0नं0 2623 रकबा 0.07 है0 ग्राम सुल्तानपुर पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी नं0 1 प्रेमशंकर ख0नं0 273 रकबा 0.55 है0 सम्पूर्ण ग्राम नापाहेडा, ख0नं0 315 रकबा 0.95 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा पूर्व दिशा ग्राम नापाहेडा एवं ख0नं0 171 रकबा 0.02 है0 में से 0.01 है0 पूर्व दिशा ग्राम नापाहेडा पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी नं0 2 महावीर ख0नं0 65 रकबा 0.45 है0 ग्राम अमरपुरा एवं ख0नं0 2615 रकबा 0.41 है0 सम्पूर्ण ग्राम सुल्तानपुर पर मौके पर आपसी सहमति से काबिज काश्त चले आ रहे है। यह कि वादीगण पैरा नं0 2 में अंकितानुसार मौके पर आपसी सहमति से काबिज काश्त चले आ रहे है और इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन करवाने हेतू सहमत है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण पूर्णरूप से सहमत लें ओर वादी क्रम 1 का नाम ग्राम अमरपुरा की जमाबन्दी मे किशन दर्ज है जिसे कृष्णमूरारी दर्ज कि जाने मे कोई आपत्ती नही हे क्योंकि नापाहेडा एंव सुल्तानपुर की आराजी मे कृष्णमुरारी दर्ज है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का निवेदन हे कि राजीनामा की मद नं0 2 के अनुसार वादग्रस्त भूमि की राजस्व रिकॉर्ड में विभाजन किये जानें की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें। प्रकरण में राजीनामा होने से पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात में आद्योपान्त अवलोकन, उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन एवं मनन करने से हम निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी प्रस्तुत वाद में राजीनामा होने से वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभय पक्षकारान के मध्य सहमति से प्रस्तुत राजीनामाअनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एवं सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार –

1–वादी क्रम 1 कृष्णमुरारी आत्मज मांगीलाल के हिस्से में

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	हिस्सा
नापाहेडा	315	0.95 हेक्टर	पश्चिम	1/2

	298	1.15 हे0 में से 0.40 हे0	पूर्व	सम्पूर्ण
	171	0.02 हे0 में से 0.01 हे0	पश्चिम	सम्पूर्ण

[illegible]0 2 रामेश्वमर आत्मज मांगीलाल के हिस्से में

[illegible]	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	हिस्सा
[illegible]पाहेडा	298	1.15 हेक्टर में से 0.75 हेक्टर	पश्चिम	–

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	हिस्सा
अमरपुरा	55	0.09 हेक्टर	–	सम्पूर्ण
अमरपुरा	2623	0.07 हेक्टर	–	सम्पूर्ण

3–प्रतिवादी नं0 1 प्रेमशंकर आत्मज मांगीलाल के हिस्से में –

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	हिस्सा
नापाहेडा	315	0.95 हेक्टर	पूर्व	1/2
नापाहेडा	171	0.02 हेक्टर में से 0.01 हे0	पूर्व	–

4–प्रतिवादी नं0 2 महावीर आत्मज मांगीलाल के हिस्से –

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	हिस्सा
अमरपुरा	65	0.45 हेक्टर	–	–

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	हिस्सा
सुल्तानपुर	2615	0.41 हेक्टर	–	सम्पूर्ण

यदि प्रतिवादी निं0 3 व 4 ने अपने भाईयों एवं पुत्रों के प्रति हकत्याग करना चाहती है? एवं उक्त आराजी में अपना हिस्सा नही लेना चाहती है तो नियमानुसार राजस्व शुल्क वसूल किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

मूल वाद में डिक्री

...ायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड दीगोद जिला कोटा (राज0)

...अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1. कृष्णमुरारी आत्मज मांगीलाल उम्र वर्ष जाति नाई
2. रामेश्वर आत्मज मांगीलाल जाति नाई निवासीगण अमरपुरा तह0 दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1. प्रेमशंकर आत्मज मांगीलाल जाति नाई
2. महावीर प्रसाद आत्मज मांगीलाल जाति नाई
3. कमला बाई पत्नी मांगीलाल जाति नाई
4. चन्द्रकला पुत्री मांगीलाल जाति नाई निवासीगण ग्राम अमरपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री कौशल किशोर वैष्णव एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :– श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत इन्द्राज दुरूस्ती</u>

<u>मिसल नं 40/2022</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –: वादी का वाद पत्र उभय पक्ष की ओर से सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है एवं विवादित आराजी में उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत आपसी सहमति का राजीनामा स्वीकार किया जाता है:– उभय पक्षकारान के मध्य सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार –

1–वादी क्रम 1 कृष्णमुरारी आत्मज मांगीलाल के हिस्से में

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	हिस्सा
नापाहेडा	315	0.95 हेक्टर	पश्चिम	1/2
नापाहेडा	298	1.15 हे0 में से 0.40 हे0	पूर्व	सम्पूर्ण
नापाहेडा	171	0.02 हे0 में से 0.01 हे0	पश्चिम	सम्पूर्ण

रामेश्वमर आत्मज मांगीलाल के हिस्से में

	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	हिस्सा
	298	1.15 हेक्टर में से 0.75 हेक्टर	पश्चिम	–

	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	हिस्सा
...रपुरा	55	0.09 हेक्टर	–	सम्पूर्ण
अमरपुरा	2623	0.07 हेक्टर	–	सम्पूर्ण

3–प्रतिवादी नं0 1 प्रेमशंकर आत्मज मांगीलाल के हिस्से में –

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	हिस्सा
नापाहेडा	315	0.95 हेक्टर	पूर्व	1/2
नापाहेडा	171	0.02 हेक्टर में से 0.01 हे0	पूर्व	–

4–प्रतिवादी नं0 2 महावीर आत्मज मांगीलाल के हिस्से –

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	हिस्सा
अमरपुरा	65	0.45 हेक्टर	–	–

ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	दिशा	हिस्सा
सुल्तानपुर	2615	0.41 हेक्टर	–	सम्पूर्ण

अतः आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पक्षकारान को खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे यदि प्रतिवादी निं0 3 व 4 ने अपने भाईयों एवं पुत्रों के प्रति हकत्याग करना चाहती हैं? एवं उक्त आराजी में अपना हिस्सा नही लेना चाहती है तो नियमानुसार राजस्व शुल्क वसूल किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज 25 02.2026 को जारी किया जाता है।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
			स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	महन्ताना वकील	0	0
महन्ताना वकील	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	मुत0	0	0
मुत0	0	0	मिलान	0	0
मिलान	0	0			

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद